03/01/23 वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। जवाब स्टे पेश नहीं करने पर बन्द किया जाता है। वादीगण अधिवक्ता को सुना गया। व पत्रावली का अवलोकन किया गया वादीगण के द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने बाबत निवेदन किया है। लिहाजा प्रकरण मे मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। प्राथमिक डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक २५/०१/२३ को पेश हो। (हस्ताक्षर)

२५/01/२3 वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। TDR KPR से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ सामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30/01/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

30/01/२3 वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का वादपत्र TDR KPR से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से खारिज हो। (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर))

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:07 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

इकबाल सिंह आदि बनाम गुरदीप सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **53, 88, 91, 188, 92** आरटीए मुकदमा नं. **193/2022**

निर्णय दिनांक :- 03.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू** के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 107/102 के मुरब्बा नम्बर 2, 39 की कुल 6.325 हेक्टैयर भूमि में वादीगण के हिस्सा में 3.162 हेक्टैयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण ईकबाल सिंह व सुरेन्द्र कौर के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादीगण एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 03.01.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांकः 03.01.2023

क्रमांकः रीडर/ 2022/02
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

कार्यालय तहसीलदार ... 01/2023
क्रमांक/मु. / 140
पटवारी अरायण
तहसीलदार (भू.अ.) श्रीकरणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 193/2022

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. ईकबाल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 32 एफ अरायण, तहसील श्री करणपुर । 2. सुरेन्द्र कौर पत्नी सिकन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 32 एफ अरायण तहसील श्री करणपुर ।	1. गुरदीप सिंह पुत्र वचिन्त सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 2. जगदीश सिंह पुत्र वचिन्त सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 3. सुखदीप सिंह पुत्र वचिन्त सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 4. हरदीप सिंह पुत्र वचिन्त सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 5. गुरवीर सिह पुत्र रामजस सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 6. हरपिन्द्र कौर पत्नी रामजस सिह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 7. हरवीर सिह पुत्र रामजस सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलावेवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 8. जसविन्द्र कौर पत्नी भगवान सिह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 91, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 01.08.2022

उपस्थित: 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय-- दिनांक: 30.01.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चक 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू0अभि0 अरायण, तहसील श्रीकरण[illegible] सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 107/102 के मुरब्बा नं0 02[illegible] 6.325 हैक्टर नहरी भूमि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के नाम [illegible] दर्ज है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1581/6325 हिस्सा या[illegible] 1.581 हैक्टर व वा[illegible] 2 का 1581/6325 हिस्सा यानि 1.581 हैक्टर दर्ज है। उक्त [illegible] पक्षकारान के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। हम पक्षकारान ने आपसी मौखिक सहमति से, पारिवारिक बंदोबस्त [illegible] अनुसार उक्त संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विभाजन कर रखा है, जिसके अनुरूप वादीगण मुरब्बा नं0 39 के किला नं0 4, 5, 6, 7 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नं0 13/2 में 0.127 हैक्टर, किला नं0 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर कुल 3.163 हैक्टर नहरी भूमि पर संयुक्त रूप से पिछले

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

30-40 वर्षों से शांतिपूर्वक निरंतर, निर्बाध रूप से काश्तकार की हैसियत से काबिज चले आ रहे है। कब्जा के संबंध में कोई वाद-विवाद नहीं है। वादीगण पारस्परिक सम्पति विभाजन के अनुसार अपने हिस्सा में आये किलाजात पर काबिज अवश्य है, लेकिन उक्त भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण हम वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा, टेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज जोत विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम घोषित करवाने चाहते है तथा वादीगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादीगण अपने नाम कायम करवाना चाहते है। वादीगण ने आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण से कहा कि हम पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार सहमति से बंटवारा करवाकर, अपने-अपने हिस्सा में आई कृशि भूमि राजस्व अभिलेख में कब्जानुसार दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण ने कहा कि पारिवारिक परे-ानियों व व्यस्तता के चलते हम ऐसा करने में असमर्थ है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर, निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-राजस्व ग्राम चक 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू0अभि0 अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 107/102 मुरब्बा नं0 39 के किला नं0 4, 5, 6, 7 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नं0 13/2 में 0.127 हैक्टर, किला नं0 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर कुल 3.163 हैक्टर नहरी भूमि का अन्य काश्तकारान से जोत विभाजन करवाकर, वादीगण के हिस्सा में आयी उक्त भूमि का किलावाईज वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर, अलग से खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 107/102 के मुरब्बा नम्बर 2, 39 की कुल 6.325 हेक्टैयर भूमि में वादीगण के हिस्सा में 3.162 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार ... में प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत ... सामिल मिसल की गई।

बहस अधिवक्तागण सुनी ... के दौरान ... अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र ... जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:07 IST
Reason: SelfAttested

इकबाल सिंह आदि बनाम गुरदीप सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 91, 88, 188 आरटीए,
प्रकरण संख्या 193/2022

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 107/102 के मुरब्बा नम्बर 2, 39 की कुल 6.325 हेक्टैयर भूमि में से वादीगण के हिस्सा की 3.162 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	ईकबाल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 32 एफ अरायण,(1.581है.) सुरेन्द्र कौर पत्नी सिकन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 32 एफ अरायण तहसील श्री करणपुर (1.581 है.)	30 एफ	39	4 5 6 7 13/2 14 ता 18 23,24,25	0.253 हेक्टैयर 0.253 हेक्टैयर 0.253 हेक्टैयर 0.253 हेक्टैयर 0.127 हेक्टैयर 1.265 हेक्टैयर 0.759 हेक्टैयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	2.10 2.10 2.10 2.10 1.05 10.50 6.30

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सेरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:07 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

इकबाल सिंह आदि बनाम गुरदीप सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **53, 88, 91, 188, 92** आरटीए मुकदमा नं. **193/2022**

निर्णय दिनांक :- 30.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 107/102 के मुरब्बा नम्बर 2, 39 की कुल 6.325 हेक्टैयर भूमि में से वादीगण के हिस्सा की 3.162 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	ईकबाल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 32 एफ अरायण,(1.581है.) सुरेन्द्र कौर पत्नी सिकन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 32 एफ अरायण तहसील श्री करणपुर (1.581 है.)	30 एफ	39	4	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				5	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				6	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				7	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				13/2	0.127 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				14 ता 18	1.265 हेक्टैयर	नहरी	10.50
				23,24,25	0.759 हेक्टैयर	नहरी	6.30

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिर्कोड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिर्कोड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 02.02.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	500	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	504	00	योग	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:07 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2023/47 दिनांक: 02.02.2023

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर